प्रेस नोट दिनांक 25.02.24
थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।

थाना इज्जतनगर #bareilly police द्वारा कुल 35 किलो 370 ग्राम अवैध गांजा (अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 12,00,000/- रुपये) व 09 अदद मोबाइल व एक महेन्द्रा एक्सयूवी कार, 01 कैलकुलेटर, दो इलैक्ट्रानिक कांटा ,पैकिंग रबड, एक हजार छोटी पोलीथीन, 1,70,000 /- रुपये नगद बरामद कर अंतरराज्यीय गांजा तस्कर गिरोह के सरगना सहित 08 नफर अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के निर्देशन व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान पुलिस अधीक्षक अपराध बरेली एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय के पर्यवेक्षण में जनपद बरेली के शहर क्षेत्र मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत मादक पदार्थ तस्करी पर रोक व सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तार हेतु थाना इज्जतनगर पर पुलिस टीम का गठन किया गया । गठित पुलिस टीम द्वारा रात्रि दिनांक 24.02.24 को मुखबिर की सूचना पर गांजा सप्लाई करने वाले 08 नफर अभियुक्त 1.मनीष पुत्र राकेश कुमार निवासी रुद्रावली थाना कोतवाली अयोध्या जिला फैजाबाद 2.लालू यादव पुत्र हुकुम चन्द निवासी ग्राम थाल खुर्द थाना रामनगर जिला बाराबंकी 3.रितेश जायसवाल पुत्र स्व0 खन्शा राम निवासी कानून गोयान थाना कोतवाली जिला बाराबंकी 4.रोहित पुत्र सहाबलाल निवासी रुदौली थाना कोतवाली जिला अयोध्या 5.सुरजपाल पुत्र श्रीकृष्ण निवासी दिलावरपुर भटकर थाना रायचन्द्र मिशन जिला शाहजहांपुर 6.रामनिवास पुत्र सोनेलाल निवासी थाल खुर्द थाना रायनगर जिला बाराबंकी 7.गोविन्द पुत्र तिलक निवासी मो0 आवास विकास कालोनी थाना कोतवाली जिला बाराबंकी 8.अंकित पुत्र विजय कुमार निवासी छानदवल थाना फतेहपुर जिला बाराबंकी को कुल 35 किलो 370 ग्राम गांजा पत्ती मय पन्नी व एक अदद XUV 300 कार व नकद 1,70,000/- रुपये व नौ अदद मोबाईल फोन व दो प्लास्टिक टार्च व दो एलईडी लाईट व एक इलैक्ट्रानिक कांटा छोटा व एक इलैक्ट्रानिक कांटा बडा व एक कैलकुलेटर व एक प्लास्टिक की पल्ली के साथ पीलीभीत रोड स्थित सिलबट्टा रेस्टोरेन्ट के पास खाली जमीन चावड के जंगलो में दिनांक 24.02.2024 समय रात्रि करीब 22.30 बजे गिरफ्तार किया गया । जिस सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही करते हुए थाना इज्जतनगर पर मु0अ0सं0 114/24 धारा 8/20/29 NDPS ACT पंजीकृत कर अभियुक्तगण को रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद गांजे की कीमत लगभग 12 लाख रुपये की है।

पूछताछः- पूछताछ से ज्ञात हुआ कि इस गिरोह का सरगना बाराबंकी कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर भांग कारोबारी दिनेश जायसवाल है जिसमें भांग के ठेकों पर गांजा बेचने की शुरूआत की, जो अच्छा मुनाफा होने पर ओर जनपदों में भी काम करने लगे । यह भी ज्ञात हुआ कि यह गिरोह अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय हो चुका है जो उत्तर प्रदेश , उत्तराखंड में गांजा तस्करी का कार्य विगत 10 वर्षों से कर रहा है , प्रारम्भ में इस गिरोह का सरगना बाराबंकी का हिस्ट्रीशीटर दिनेश जायसवाल था जोकि अपने साथी अश्वनी के साथ मिलकर बाराबंकी, लखनऊ,हरदोई,शाहजहाँपुर, पीलीभीत, लखीमपुर व बरेली में तथा उत्तराखण्ड में गांजा तस्करी का कार्य करते थे । शाहजहाँपुर में इस गिरोह को प्रभारी निरीक्षक जयशंकर सिंह द्वारा जनपद शाहजहाँपुर में नियुक्ति के दौरान वर्ष 2020 में थाना खुटार से इस गिरोह के 14 सदस्यों टीयूवी कार लगभग 35 किलोग्राम गांजा व कैश के साथ , वर्ष 2019 में थाना आरसीमिशन शाहजहाँपुर से 05 सदस्यों को लगभग 12 किलो गांजा के साथ पूर्व में गिरफ्तार किया गया था । शाहजहाँपुर से दो बार पकडे जाने के बाद से इस गिरोह में विवाद हो गया । रितेश ने बरेली में अपना ठिकाना बनाकर अलग से गांजा तस्करी का काम करने लगा । यह लोग गांजा नेपाल के रास्ते 5,000-8,000/रुपये किलो मंगाते है और उमसे नशीला केमिकल मिलाकर एक किलो गांजा में 400-500 छोटी -छोटी पुडिया बनाते है । नेपाल से इनको कौन व्यक्ति गांजा उपलब्ध कराता है इस सम्बन्ध में इनके पास बरामद मोबाइल फोन नम्बरों से सर्विलांस सैल के माध्यम से जानकारी की जा रही है । प्रति पुडिया का दाम 100-120 रुपये होता है जिससे यह लोग 10-15 गुना मुनाफा कमाते है । दिनेश जायसवाल मूलतः भांग के ठेके का लाइसेंसी है और शुरु में भांग के ठेकों से गांजा की बिक्री करते थे किन्तु कारोबार में फायदा को देखते हुए इन लोगों ने अपना दायरा बढा लिया और हर थाना क्षेत्र में छोटे-छोटे किराना व्यापारी के यहाँ से गांजा बेचने का कारोबार करने लगे । नई पीढी के लडकों तथा बडे घरों के लडको के गांजे के नशे का शौक बढता जा रहा है इसके चलते इन लोगों ने हर थाना क्षेत्र में एक-एक दुकान खोल ली है । इनके पास 8,000/-रुपये प्रति माह में लडके नौकरी पर रहते है जोकि सुबह 70-100 पुडिया गांजा लेकर दुकान पर दे देते है और शाम को बिक्री का पैसा ले जाते है । यह लोग महंगी कॉलोनियों में पूरा मकान किराये पर ले लेते है और स्वयं को चोलामंडलम कम्पनी का बताकर मकान किराये पर लेते है । एक ही मकान में सभी लोग रहते है, आलीशान घरों में रहने के कारण कोई इन पर शक नहीं करता है । यह लोग कमरे पर खाना बनाने के लिए रसोइया भी रखते है । यह लोग सुरेशशर्मा नगर में किराये के मकान पर रहते थे लेकिन लोगों को

शक होने पर वह पर मकान छोड दिया। यह लोग चार पहिया गाडी में गांजा लेकर आते है और थोक भाव में ग्राहकों को पुडिया बनाकर बेच देते है यह लोग हाईवे के किनारे थोक की सौदे बाजी करते है । गिरफ्तारी के समय भी यह लोग 1,70,000/- रुपये का गांजा थोक भाव में बेच चुके थे ओर ग्राहक सौदे बाजी के लिए बुला रखे थे । इसी दौरान सूचना मुखबिरी के आधार पर पीलीभीत रोड स्थित चावड गाव के पूर्व बाउंड्री वाल के अंदर कोठरी में खुले गांजो को पुडिया में पैकिंग करते समय रात्रि 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया । अब तक की पूछताछ से ज्ञात हुआ है कि बरेली में इनका कारोबार थाना सुभाषनगर, किला, बनखण्डी नाथ, बीसलपुर, बारादरी गांजा बेचने का कार्य करते है। यह लोग महंगे कपडे ,जूते, पहनते है व महंगी कालोनियो में रहते है महंगी गाडियो से चलत है इसलिए मोहल्ले के लोग जल्दी शक नहीं करते है यह लोग अय्याशी का काम भी करते है जिन पर काफी पैसे खर्च करते है । इस गिरोह का सरगना पूर्व में बाराबंकी कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर दिनेश रह चुका है उसके भी इस घटना ने संलिप्तता के बारे में जानकारी की जा रही है **। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 12,00,000/- रुपये है । आरोपी गण के कब्जे से बरामद घटना में प्रयुक्त XUV 300 कार की जब्तीकरण हेतु जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट अलग से प्रेषित की जा रही है ।** इस गिरोह की अन्य जनपदों में सक्रियता के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है । इस गिरोह की गिरफ्तारी से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगेगा । गिरोह के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की जा रही है ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.मनीष पुत्र राकेश कुमार निवासी रुद्रावली थाना कोतवाली अयोध्या जिला फैजाबाद ।
2.लालू यादव पुत्र हुकम चन्द निवासी ग्राम थाल खुर्द थाना रामनगर जिला बाराबंकी ।
3.रितेश जायसवाल पुत्र स्व0 खन्शा राम निवासी कानून गोयान थाना कोतवाली जिला बाराबंकी ।
4.रोहित पुत्र सहाबलाल निवासी रुदौली थाना कोतवाली जिला अयोध्या ।
5.सुरजपाल पुत्र श्रीकृष्ण निवासी दिलावरपुर भटकर थाना रायचन्द्र मिशन जिला शाहजहांपुर ।
6.रामनिवास पुत्र सोनेलाल निवासी थाल खुर्द थाना रायनगर जिला बाराबंकी ।
7.गोविन्द पुत्र तिलक निवासी मो0 आवास विकास कालोनी थाना कोतवाली जिला बाराबंकी ।
8.अंकित पुत्र विजय कुमार निवासी छानदवल थाना फतेहपुर जिला बाराबंकी ।

<u>बरामदगीः-</u>

1.कुल 35 किलो 370 ग्राम अवैध गांजा
2.09 अदद मोबाइल
3.एक महेन्द्रा एक्सयूवी 300 ब्लैक कलर कार
4.पैकिंग रबड
5.एक हजार छोटी पोलीथीन
6.1,70,000 /- रुपये नगद
7.दो प्लास्टिक टार्च
8.दो एलईडी लाईट
9.एक इलैक्ट्रानिक कांटा छोटा
10.एक इलैक्ट्रानिक कांटा बड़ा
11.एक कैलकुलेटर व एक प्लास्टिक की पल्ली

<u>आपराधिक इतिहास</u>

1. **मनीष पुत्र राकेश कुमार निवासी रुद्रावली थाना कोतवाली अयोध्या जिला फैजाबाद ।**
   i. मु0अ0सं0 317/23 धारा 8/20 NDPS Act थाना कोतवाली रुदौली जिला अयोध्या ।
   ii. मु0अ0सं0 114/24 धारा 8/20/29 NDPS Act थाना इज्जतनगर जिला बरेली ।
2. **लालू यादव पुत्र हुकुम चन्द निवासी ग्राम थाल खुर्द थाना रामनगर जिला बाराबंकी ।**
   i. मु0अ0सं0 367/21 धारा 8/20 NDPS Act थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर ।
   ii. मु0अ0सं0 114/24 धारा 8/20/29 NDPS Act थाना इज्जतनगर जिला बरेली ।
3. **रितेश जायसवाल पुत्र स्व0 खन्शा राम निवासी कानून गोयान थाना कोतवाली जिला बाराबंकी**
   i. मु0अ0सं0 114/24 धारा 8/20/29 NDPS Act थाना इज्जतनगर जिला बरेली ।
   ii. मु0अ0सं0 129/19 धारा 8/22 NDPS Act थाना रामचन्द्र मिशन जिला शाहजहाँपुर ।

4. **रोहित पुत्र साहबलाल निवासी रुदौली थाना कोतवाली जिला अयोध्या ।**
    1. मु0अ0सं0 315/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली रुदौली जिला अयोध्या ।
    2. मु0अ0सं0 114/24 धारा 8/20/29 NDPS Act थाना इज्जतनगर जिला बरेली ।
5. **सुरजपाल पुत्र श्रीकृष्ण निवासी दिलावरपुर भटकर थाना रायचन्द्र मिशन जिला शाहजहांपुर ।**
    1. मु0अ0सं0 114/24 धारा 8/20/29 NDPS Act थाना इज्जतनगर जिला बरेली ।
    2. मु0अ0सं0 310/19 धारा 366/395/504/506 आईपीसी थाना रामचन्द्र मिशन शाहजहाँपुर
6. **रामनिवास पुत्र सोनेलाल निवासी थाल खुर्द थाना रायनगर जिला बाराबंकी ।**
    1. मु0अ0सं0 114/24 धारा 8/20/29 NDPS Act थाना इज्जतनगर जिला बरेली ।
7. **गोविन्द पुत्र तिलक निवासी मो0 आवास विकास कालोनी थाना कोतवाली जिला बाराबंकी ।**
    1. मु0अ0सं0 114/24 धारा 8/20/29 NDPS Act थाना इज्जतनगर जिला बरेली ।
8. **अंकित पुत्र विजय कुमार निवासी छानदवल थाना फतेहपुर जिला बाराबंकी ।**
    1. मु0अ0सं0 114/24 धारा 8/20/29 NDPS Act थाना इज्जतनगर जिला बरेली ।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1.प्रभारी निरीक्षक श्री जयशंकर सिंह थाना इज्जतनगर बरेली ।
2.उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना इज्जतनगर बरेली ।
3.उ0नि0 श्री नरेन्द्र सिंह थाना इज्जतनगर बरेली ।
4.उ0नि0 मो0 रफीक थाना इज्जतनगर बरेली ।
5.हे0कां0 534 आशीष मिश्रा थाना इज्जतनगर बरेली ।
6.हे0का0 253 योगेश कुमार थाना इज्जतनगर बरेली ।
7.हे0का0 266 विपुल थाना इज्जतनगर बरेली ।
8.का0 216 विशाल थाना इज्जतनगर बरेली ।
9.का0 2831 अमित थाना इज्जतनगर बरेली ।
10. का0 3336 सुमित थाना इज्जतनगर बरेली ।
11.का0 1625 रवि थाना इज्जतनगर बरेली ।
12. का0 1620 सन्नी थाना इज्जतनगर बरेली ।